कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी

बिहार सरकार

(आपूर्ति शाखा) ई–मेल :–sdopatnacity@gmail.com

अति अल्पकालीन सूचना का प्रकाशन
विज्ञापन संख्या– 01/2026–27

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1070/खाद्य, दिनांक 13.03.2023, पत्रांक 1663/खाद्य, दिनांक 18.04.2023 एवं प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक I/228263/2025 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 14396 दिनांक 10.09.2024 के आलोक में आदर्श आरक्षण रोस्टर बिन्दु का अनुमोदनोपरांत बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 एवं बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक–15.02.2016 में वर्णित प्रावधानों के तहत पटना सिटी अनुमंडल अन्तर्गत संबंधित पंचायत/वार्ड (नगर निकाय क्षेत्र) में चिन्हित कुल–38 (अरतिस) रिक्त जन वितरण प्रणाली के दुकानों की नई नियुक्ति हेतु योग्य आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कोटिवार रिक्तियाँ निम्न प्रकार है :–

(प्रखंडवार/नगर निकायवार, पंचायतवार/वार्डवार एवं कोटिवार रिक्ति की विवरणी)

क्रम	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पंचायत/वार्ड संख्या	आरक्षण कोटिवार रिक्ति की संख्या							कुल रिक्ति
			अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अ0पि0 वर्ग	पि0वर्ग	पि0वर्गो की महिलाएँ	अनारक्षित	आ0रुप से कमजोर वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पटना नगर निगम	46	-----	-----	01	-----	-----	01	-----	02
2	पटना नगर निगम	47	-----	-----	-----	-----	-----	01	01	02
3	पटना नगर निगम	49	-----	-----	-----	-----	-----	01	-----	01
4	पटना नगर निगम	50	-----	-----	01	-----	-----	01	-----	02
5	पटना नगर निगम	51	-----	-----	01	-----	-----	02	-----	03
6	पटना नगर निगम	52	-----	-----	-----	-----	-----	02	-----	02
7	पटना नगर निगम	53	-----	-----	01	-----	-----	01	01	03
8	पटना नगर निगम	54	-----	-----	-----	-----	-----	01	-----	01
9	पटना नगर निगम	56	-----	-----	-----	-----	-----	04	-----	04
10	पटना नगर निगम	57	-----	-----	01	-----	-----	-----	-----	01
11	पटना नगर निगम	58	-----	-----	-----	-----	-----	02	01	03
12	पटना नगर निगम	60	-----	-----	-----	-----	01	-----	-----	01
13	पटना नगर निगम	61	-----	-----	-----	-----	-----	01	-----	01
14	पटना नगर निगम	62		-----	01	-----	-----	02	-----	03

क्रम	प्रखण्ड / नगर निकाय का नाम	पंचायत / वार्ड संख्या	आरक्षण कोटिवार रिक्ति की संख्या							कुल रिक्ति
			अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अ0पि0 वर्ग	पि0वर्ग	पि0वर्गों की महिलाएँ	अनारक्षित	आ0रूप से कमजोर वर्ग	
15	खुसरूपुर	अलावलपुर	-----	-----	-----	-----	-----	01	-----	01
16	खुसरूपुर	बैकटपुर	-----	-----	-----	-----	-----	02	-----	02
17	खुसरूपुर	हैबतपुर	-----	-----	-----	-----	01	-----	01	02
18	दनियावां	दनियावां	-----	-----	-----	-----	-----	01	-----	01
19	दनियावां	खरभैया	-----	-----	-----	-----	-----	01	-----	01
20	दनियावां	शाहजहांपुर	-----	-----	-----	-----	-----	02	-----	02
कुल			00	00	06	00	02	26	04	38

नोट :– सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प संख्या–963 दिनांक–20.01.2016 द्वारा राज्य की सभी सेवाओं में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गो की महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अंतिम चयनित सूची में यदि महिलाओं का 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं होता है तो जिस वर्ग विशेष (आरक्षित / गैर आरक्षित) में महिलाओं की संख्या में कमी होगी उस कोटि में 35 प्रतिशत की सीमा तक इसे पूरा करने के लिए मेधा कम में न्यूनतम स्थान वाले पुरूष अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में हटाया जायेगा, जिससे कि 35 प्रतिशत की महिलाओं की आरक्षण सीमा पूरी हो जाय। महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के कम में चयन के प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक–15.02.2016 में प्रावधानों को विस्तार से वर्णित किया गया है, जिसका अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित कोटिवार रिंक्तियों के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में अनुसूची–1 एवं 2 (जो लागू हो) में सुयोग्य आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक–01.06.2026 से दिनांक –30.06.2026 तक प्रत्येक कार्य दिवस में (10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक) निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा **"अनुज्ञापन प्राधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, जिला– पटना बिहार, पिन कोड– 800007"** के पते पर स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2026 के अपराह्न 05:00 बजे के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यह विज्ञापन सी0डब्लु0जे0सी0 सख्या– 16760 / 2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबद्ध सभी अन्य मामलो में दिनांक 20.06.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0 मे पारित आदेश के फलाफल से यह प्रभावित होगा।

जन वितरण प्रणाली विक्रेता के इस नियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि से पूर्व में दिये गये सभी आवेदन अमान्य किये गये हैं। वैसे इच्छुक आवेदक जो उचित मूल्य की नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहते है, उन्हें इस विज्ञापन के तहत निर्धारित अवधि में आवेदन समर्पित करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता एवं शर्तें निम्न प्रकार है :–

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक– 2526 दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी हेतु प्रस्तुत समव्यवहार में 01 पद क्षैतिज आरक्षण के तहत् अनुमान्य होगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक – 962 दिनांक – 22.01.2021 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के तहत् निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब, आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता / संकल्प संख्या–962 दिनांक 22.09.2021 की कंडिका–(8) के खण्ड (क) से खण्ड–(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
694 से 700	00	00	00	00	00
701 से 725	01	00	00	00	01
कुल :–	01	00	00	00	01

i. यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम द्वारा भरा जायेगा।

1. **पात्रता एवं शर्तें :–**

i- उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा। परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

ii- न्यूनतम आयु–18 वर्ष।

iii- आवेदक द्वारा समर्पित किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होने चाहिए।

iv- उचित मूल्य की दूकान के आवंटन में प्राथमिकतायें निम्न रुप में होगी :–

(क) स्वयं सहायता समूह।
(ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ।
(ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ।
(घ) शिक्षित बेरोजगार।
(ड़) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. **उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ :–**

i. एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।

ii. मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रुप में अपने कार्य काल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

iii. आटा–चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

iv. अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

v. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रुप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

vi. सरकार में लाभ के पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

3. चयन की प्रक्रिया :–

i. अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरांत रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची को जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।

ii. तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधासूची का प्रकाशन अपर जिला दण्डाधिकारी, (आपूर्ति) पटना, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी के कार्यालय सूचनापट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी के समक्ष लिखित दावा/आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जायेगा।

iii. दावा/आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि–सम्मत निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभ्युक्ति कारण सहित अंकित की जायेगी।

iv. अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा रिक्तिवार प्राप्त परिवादों का एक साथ निष्पादन किया जायेगा। साथ ही, सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति के तिथि से अधिकत्तम 30 दिनों के भीतर किया जायेगा।

v. वैसे सभी मामले में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधासूची के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किंतु जिन मामले में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

vi. जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

4. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :–

i. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये विहित प्रपत्र में पूणरूपेण भरे हुए आवेदन पत्र सभी आवश्यक कागजातो के साथ अनुमंडल कार्यालय के पटना सिटी को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित अंतिम तिथि 30.06.2026 को अपराहन् 05:00 बजे के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ii. पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं आवेदन का विहित प्रपत्र के नमूने की जानकारी आवेदक अनुमंडल कार्यालय पटना सिटी के सूचना पट्ट से कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते है। साथ ही साथ कोटिवार रिक्तियों की सूचना प्रखण्ड/अंचल/समाहरणालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध रहेगा, इसके अतिरिक्त कोटिवार रिक्तियॉं एवं बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के अधीन उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र अनुसूची–01 एवं अनुसूची–02 ही सिर्फ मान्य होगा। व्यक्ति अनुसूची–1 में एवं स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहकारी समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ अनुसूची–2 में अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। दोनो अनुसूची जिला के वेबसाईट www.patna.nic.in पर एवं अनुमंडल कार्यालय पटना सिटी के सूचना पट्ट पर भी उपलब्ध रहेगा।

iii. अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरुपेण मेधा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।

iv. स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गो की महिलायें तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।

v. जन वितरण दुकान आवंटन प्रक्रिया के दौरान माननीय न्यायालय का प्रतिकूल आदेश प्राप्त होने पर आवंटन प्रक्रिया बिना कारण बताए रद्द कर दिया जायेगा। रद्द दुकान के विरूद्ध निकाले गए रिक्तियों के विरूद्ध दुकान आवंटन माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल पर निर्भर करेगा। यदि माननीय न्यायालय द्वारा रद्द दुकान बहाल करने का आदेश दिया जाता है तो उस रद्द

Scanned with OKEN Scanner

दुकान के स्थान पर आवंटित नई दुकान की अनुज्ञप्ति बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जायेगा।

vi. आवेदक को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषक क्षेत्र में रखना होगा एवं विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की पूर्वानुमति से, अपवाद स्वरूप पोषण क्षेत्र से बाहर लाभुकों की सुविधा को ध्यान में रखकर उचित मूल्य की दुकान की स्वीकृति दी जा सकेगी।

vii. आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रुप में कोई भी राशि देय नहीं है।

viii. जिला स्तरीय चयन समिति" द्वारा अनुशंसित आवेदक को अनुज्ञप्ति' फीस के रूप में 1000/– (एक हजार) रू0 ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु सूचित किया जायेगा एवं अनुज्ञप्ति फीस जमा करने के पश्चात ही अनुसूची–3 में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

ix. अपूर्ण/अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

x. एक से अधिक पंचायत के लिये आवेदन करने पर आवेदक का सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

xi. अपरिहार्य कारणवश विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित कागजात/प्रमाण पत्र :–

(क) सभी श्रेणी के आवेदकों के लिये :–

i. आवेदन पत्र के साथ अपना अद्यतन तीन रंगीन पासपोर्ट साईज़ फोटो, जिसमें से एक स्व–अभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दायें कोने में निर्धारित स्थान पर चिपकाया होना चाहिए। शेष दो फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जिनके पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र में आवेदक को अपना मोबाईल संख्या हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के नीचे अंकित करना आवश्यक होगा।

ii. शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, तथा उम्र से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति ।

iii. अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

iv. यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

v. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26.02.2019 में संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

vi. सभी कोटि के आवेदक को आचरण प्रमाण पत्र, जो 06 माह से अधिक की अवधि की नहीं होनी चाहिए, को आवेदन पत्र के साथ स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

vii. आवेदक पोषण क्षेत्र अन्तर्गत जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दूकान का संचालन करना चाहते है, दुकान या गोदाम का स्थल अगर निजी है, तो उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला तथा अद्यतन्न लगान रसीद की सत्यापित छायाप्रति अथवा अगर किराया का है तो किरायानामा से संबंधित एकरारनामा की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ समर्पित करेगें।

6. आवेदक इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि :–

(क)

i. आवेदक के संयुक्त परिवार में किसी सदस्य के नाम से पूर्व में जन वितरण प्रणाली की दूकान नहीं है।

ii. आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रुप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है।

iii. आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

iv. आवेदक सरकारी लाभ/सरकारी नौकरी के किसी पद पर पदस्थापित नहीं है।

v. आवेदक अथवा उनके निकट रिश्तेदार के पास आटा चक्की नहीं है।

vi. आवेदक वर्तमान में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

vii. आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है। (यदि हो तो पूर्ण विवरण अंकित करें।)

(ख) स्वयं सहायता समूह के लिये :–

i. समूह का गठन न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो तथा बैंक खाता भी न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो।

ii. निर्वाचन संबंधी बैठक की कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति।

iii. स्वयं सहायता समूह में प्राप्त ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

iv. स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति।

v. आरक्षण का दावा हो, तो प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र का स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

7. **आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :–**

पूर्ण रुपेण भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न अनुलग्नकों के साथ बंद लिफाफे में **दिनांक– 01.06.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक प्रत्येक कार्य दिवस में (10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक)** निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा **"अनुज्ञापन प्राधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, जिला– पटना बिहार, पिन कोड– 800007"** के पते पर स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि एवं समय **(दिनांक 30.06.2026 अपराह्न 05:00 बजे)** के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

लिफाफे के उपर निम्नांकित विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य है :–

उचित मूल्य की दूकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

विज्ञापन संख्या –

आरक्षण कोटी –

वार्ड संख्या/ पंचायत का नाम–

प्रखण्ड का नाम –

8. आवेदक द्वारा आवेदन मे अंकित गलत सूचना अथवा फर्जी दस्तावेज के आधार पर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली जाती है तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए आवेदक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता एवं विधि द्वारा स्थापित सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।

20/5/26

अनुज्ञापन प्राधिकारी
–सह–
अनुमंडल पदाधिकारी,
पटना सिटी।

D:\Supply\PDS_Vacncy forwd letter

Scanned with OKEN Scanner